



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03062025-263558
CG-DL-E-03062025-263558

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2378]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 30, 2025/ज्येष्ठ 9, 1947

No. 2378]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 30, 2025/JYAISTHA 9, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 2025

का.आ. 2437 (अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 798 तारीख 13/02/2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के एसपीएसआर नेल्लोर जिले में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के कि.मी. 57.046 से कि.मी. 91.927 तिरुपति जिले में नायडूपेटा से पूर्वी कानपुर तक छह लेन का निर्माण तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख "18.03.2025" को "द हंस इंडिया" और "प्रजाशक्ति" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के एसपीएसआर नेल्लोर जिले में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के कि.मी. 57.046 से कि.मी. 91.927 तिरुपति जिले में नायडूपेटा से पूर्वी कानपुर तक छह लेन का निर्माण के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश			जिले का नाम: एसपीएसआर नेल्लोर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: कोटा					
गांव का नाम: कोथापलेम					
1	1803-ए-4बी	निजी	बेट	0.0404694	पेनुबोलू दिनेश कुमार रेड्डी एंस्/ओ वेंकटरमन रेड्डी 1803-A-4B
Total				0.0404694	

[फा. सं. NHAI/PIU/NELLORE/KPROADS/LA/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th May, 2025

S.O. 2437(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, 798 Dated:13/02/2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under Sub-section (1) of Section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of Greenfield Expressway in the stretch of land from Km. 57.046 to Km. 91.927, Six laning from Naidupeta to East Kanpuru in the district of Tiruapti in the state of ANDHRA PRADESH;

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Hans India (English)” and “Prajasaki” both dated 18.03.2025; under Sub-section (3) of Section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of Sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the Sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of Sub-section (2) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the Greenfield Expressway in the stretch of land from Km. 57.046 to Km. 91.927 Six laning from Naidupeta to East Kanpuru in the district of Tiruaptiin the district of SPSR Nellore in the state of ANDHRA PRADESH.

State: ANDHRA PRADESH			District: SPSR Nellore		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Kota					
Village: Kothapalem					
1	1803-A-4B	Private	Wet	0.0404694	Penubolu Dinesh Kumar Reddy S/o Venkataramana Reddy 1803-A-4B
Total				0.0404694	

[F. No. NHAI/PIU/NELLORE/KPROADS/LA/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director